किसानों ने मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय को तीसरे दिन भी ठप रखा

सादुलपुर, (निसं)। अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा 18 सूत्री मांगों सहित नहर व फसल बीमा क्लेम की माँगों को लेकर तीसरे दिन भी आक्रोशित किसानों नें एसडीएम कार्यालय को ठप रखा तथा तीन रोज से मिनीसचिवालय के दोनों द्वारों पर तालाबन्दी जारी रही।

कॉमरेड सुनिल पूनियां ने बताया कि जब तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दी जायेगी, तब तक एसडीएम कार्यालय राजगढ को ठप रखा जाएगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 11 जुलाई को देने की बात कही थी, जबकि हर बार कलेक्टर और एसडीएम ने केवल और केवल आश्वासन ही दिया है, जिसके विरोध में अब 15 जुलाई को मोदी और गहलोत का धरना स्थल पर पुतला दहन किया जायेगा। पूनियां ने बताया कि महापडाव शांतिपूर्वक रहा तथ 11 जुलाई 2022 की वार्ता विफल रहने के बाद कोई वार्ता नहीं हुई और प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली। साथ ही बताया कि पूर्व की वार्ता विफल रही, जिसके विरोध में किसानों ने फिर एसडीएम कार्यालय के दोनों गेट बंद किए थे और आज तीसरे दिन भी बंद रखे गये। साथ ही चेतावनी दी कि हमारी माँग मानने पर ही गेट खोले जायेंगे। महापडाव के तीसरे दिन जयप्रकाश ढाका, कॉमरेड निर्मल प्रजापत, कॉमरेड उमराव सिंह, माईचन्द बागोरिया, प्रभुराम गोयल, सुनील पूनिया, कॉमरेड रणसिंह गागडवास, राजकुमार भोजाण, ओमप्रकाश हांसियाबास, मनीराम ढाका, औंकार सिंह महलाना, जयसिंह, दलीप मानपुरा, रामनिवास सूरतपुरा, रतन सिंह, गुडाण, महेंद्र मास्टर बींजावास, मनीराम ढाका, गौरीशंकर, मोहनलाल सिद्धमुख, राजेंद्र खुड्डी, इंद्राज चूरू, राजेंद्र कालरी, श्योलल महलाना, इंद्राज राजपुरिया, चिमनाराम पांडेर, सुशील हरियाणा, भले राम पूनिया, राकेश थालोर, विक्रम सोनी, कृष्ण शर्मा व अशोक शर्मा आदि ने संबोधित किया।

नहर व बीमा क्लेम सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के समक्ष चल रहे धरने पर किसानों को कॉमरेड सुनिल पूनियां ने सम्बोधित किया।

- तीन दिन से मिनी सचिवालय के दोनों द्वारों पर तालाबन्दी जारी रही

दहेज प्रताड़ना एवं यौन शोषण के आरोप में ससुर गिरफ्तार

सुजानगढ़ पुलिस की गिरफ्त में दहेज व यौन शोषण का आरोपी ससुर।

सुजानगढ़, (निसं)। कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताडना एवं यौन शोषण के आरोप में आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया है।

जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर इन्द्रलाल ने बताया कि पीडिता द्वारा 10 नवम्बर 20 21 को कोतवाली थाने में अपने पति आदित्य शर्मा, ससुर बजरंगलाल शर्मा, सास पदमादेवी व ननद मिनाक्षी शर्मा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व यौन शोषण के आरोप का मामला दर्ज करवाया था। प्रकरण में आरोपी ससुर बजरंगलाल शर्मा निवासी को एसीजेएम नवनीत अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। एसीजेएम अग्रवाल ने आरोपी बजरंगलाल को पांच दिन के पुलिस रिमाण्ड पर सौंपे जाने के आदेश दिए। ज्ञात रहे कि पीडिता ने रिपोर्ट में बताया कि पति आदित्य शर्मा, ससुर बजरंगलाल शर्मा, सास पदमादेवी व ननद मिनाक्षी शर्मा पर कम दहेज लाने का ताना मारते तथा कहते कि हमें सोने के गिफ्ट, पांच लाख नगद व एक कार मिलने की उम्मीद थी। रिपोर्ट में पति पर लडाई झगडा करने, मारपीट करने के आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पथरी दर्द होने पर सास पदमादेवी ने दर्द की दवा के रूप में नशीली दवा दी, जिससे चक्कर आने पर मैं कमरे में सो गई और ससुर ने आकर मेरे साथ खोटा काम किया तथा सास ने विडियो व फोटो ले लिए। अगले दिन ससुर ने मुझे वे विडियो व फोटो दिखाते हुए रिश्तेदारों व लोगों को दिखाने का भय दिखा कर लगातार खोटा काम किया। पति को बताने पर उसने बदनाम करने एवं छोडने की धमकी दी।

रिपोर्ट में पीडिता ने बताया कि 12 सितम्बर 2021 को पति एवं ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने पर पिता को फोन करने पर पिता, माता, दादा जी ससुराल आये तो उनके सामने भी मारपीट की तथा दहेज की मांग की। नहीं देने पर नहीं रखने की धमकी दी। जिस पर स्त्रीधन मांगने पर लौटाने से इंकार कर दिया तथा मुझे व मेरे परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया।

किराना व्यापारी की गला रेतकर हत्या, आरोपी को इंदौर से पकड़ा

भीलवाडा, (निसं)। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को किराना के एक होलसेल व्यापारी संजय सोमानी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। व्यापारी रात को मंगरोप से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। संजय का शव बगलेश्वर महादेव रोड पर उसकी कार के अंदर ही मिला है। राहगीरों ने कार में खून से सना शव देख पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के अंदर से सब्जी काटने वाले दो चाकू बरामद किए हैं। वहीं इस घटना की सूचना के बाद एसपी आदर्श सिद्धू और ग्रामीण सीओ रामचंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। जहां बुधवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसी बीच मंगरोप के ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र के बाजार बंद रख विरोध दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में इंदौर से आरोपी को डिटेन किया है, जिसे भीलवाडा लाने के बाद पूछताछ में ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि मंगरोप हाल भीलवाड़ा निवासी संजय पुत्र भैरूलाल सोमानी की मंगलवार शाम को चाकू से उनकी कार में ही निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की कार बगलेश्वर महादेव मंदिर के पास मिली है। उसी के अंदर ही उसका शव था। संजय मंगरोप में किराणे की होलसेल दुकान चलाता है। मंगलवार को जब वह दुकान बंद कर घर के लिए रवाना हुआ था तो उसकी दुकान पर कार्य करने वाला पूर्व कर्मचारी राहुल रैगर भी उसके साथ था। जिसे कई लोगों ने कार में देखा था और घटना के बाद से वह गायब है। वहीं मृतक दुकान से जो पैसे लेकर निकला था। वह कार में सुरक्षित मिले है। जिसके चलते इस हत्या के पीछे रंजिश का कारण सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि संजय के पिता भैरूलाल कांग्रेस के नेता है और उनकी मां चंद्रकला सोमानी मंगरोप की सरपंच रह चुकी है। मृतक का पैतृक गांव मंगरोप ही है। चार साल पहले तक पूरा परिवार मंगरोप ही रहता था। उसके बाद भीलवाडा रहने लग गए। संजय दुकान पर भी हमेशा भीलवाडा से आता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दुकान से रवाना होते समय संजय के साथ राहुल रैगर ही था। राहुल पहले संजय की दुकान पर ही काम करता था। लोगों ने राहुल को संजय की कार के पीछे की सीट पर बैठा देखा था। पुलिस टीम ने राहुल को इंदौर से डिटेन किया है। पुलिस अब राहुल को भीलवाडा लाने के बाद गहनता से पूछताछ कर हत्या के कारणों का खुलासा करेगी। वही इस हत्याकांड के विरोध में बुधवार आक्रोषित ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख विरोध दर्ज करवाया है।

पुलिस ने व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करवाया और जांच की।

- पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर हत्या के कारणों का खुलासा करेगी

बाल संप्रेषण गृह से चार बाल अपचारी फरार

धौलपुर, (निसं)। बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से बीती रात करीब 3 बजे एक बार फिर 4 बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है। जिससे सम्प्रेषण गृह की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर अब तरह तरह के संदेह भी होने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बाल अपचारी भागने की घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, वे संदेह पैदा कर रही हैं। इन घटनाओं को लेकर किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ बड़े अफसरों ने भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिससे ये लापरवाही बार बार हो रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार की रात करीब 3 बजे बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 4 बाल अपचारी संप्रेषण गृह की खिड़की काटकर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि फरार हुए ये चारों बाल अपचारी पॉस्को एक्ट व आर्म्स एक्ट के आरोप में बंद थे। घटना की पता चलने पर सदर थाना पुलिस धौलपुर को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की भनक लगने पर मीडिया जब बाल संप्रेषण गृह पहुंची तो बाल संप्रेषण गृह के चैनल गेट का ताला लगा हुआ मिला। बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक दीपेंद्र सिंह शेखावत से सीसीटीवी फुटेज व बाइट देने की कहा गया तो अधीक्षक ने कहा कि हमें ऊपर से मना किया गया है कि मीडिया को ना ही तो बाइट देनी है और ना ही सीसीटीवी फुटेज देने हैं।

चैक अनादरण मामले में डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई

ब्यावर, (निसं)। अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 की पीठासीन अधिकारी नीतू ने रामखेडा धन्नार के पूरणसिंह को चैक अनादरण का दोषी पाते हुए डेढ साल का कारावास व साढे तीन लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले के अनुसार परिवादी लोकेश बुरड द्वारा पंचायत समिति जवाजा में स्थित गांव रामखेडा धन्नार के पूरण सिंह को वर्ष 2017 में निजी आवश्यकता व घरेलू खर्च बाबत तीन लाख रूपये नकद उधार दिये थे। उसके पेटे अभियुक्त ने उक्त राशि का चैंक अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को सौंपा था व यह विश्वास दिलाया था कि चैक को बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को प्राप्त हो जायेगा। अभियुक्त के विश्वास दिलाने पर ही परिवादी ने उक्त चैक लेना स्वीकार किया।

इसके बाद परिवादी के द्वारा चैक को अपनी बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया तो उक्त चैक "ओपनिंग बैलेन्स इनसफिशियेन्ट" होने के कारण अनादरित होकर बिना भुगतान के लौट आया। अभियुक्त ने यह जानते बूझते हुए कि उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि मौजूद नहीं है, फिर भी परिवादी को साथ छल व धोखा देने के उद्देश्य से उक्त चैक जारी कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस देने के बावजूद उक्त राशि का भुगतान नहीं किया तब परिवादी ने वर्ष 2018 में उक्त परिवाद विशिष्ट न्यायिक मजि. एन.आई.कोर्ट में पेश किया। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरणसिंह को एनआई एक्ट की धारा 138 में दोषी करार देते हुए डेढ वर्ष का कारावास तथा 3.5 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश किये। साथ ही सख्त टिप्पणी भी करी कि "हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों को संश्रय मिलेगा अत: अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है व अभियुक्त प्रतिकर अदा करने में व्यतिक्रम रहता है तो अभियुक्त को तीन महिने का कारावास पृथक से भुगताया जावे"। परिवादी की ओर से एडवोकेट नीलेश बुरड ने अपनी तर्कपूर्ण दलीले एवं पक्ष रखा।

भीलवाड़ा में छह पॉजीटिव मिले

भीलवाडा, (निसं)। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को आई आरटीपीसीआर रिपोर्ट में 6 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें 3 गुलाबपुरा, एक गंगापुर व दो शहर के हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि इन रोगियों में गुलाबपुरा की 40 साल की महिला, 48 साल का पुरुष व 29 साल का युवक और गंगापुर निवासी 66 वर्षीय वृद्ध, सांगानेरी गेट निवासी 25 वर्षीय युवक, शास्त्रीनगर निवासी 53 वर्षीय प्रौढ़ शामिल हैं।

मंदिर और घर में चोरी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के बनेडा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने भगवान के दो घरों से गहने, जबकि एक मकान के बाहर से बाइक चुरा वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने सब्जी विक्रेताओं की दो केबीनों को भी निशाना बनाया। वहीं भागते समय पंक्चर हुई चोरी की बाइक को चोर लावारिस हालत में छोड़ गये।

तीन मिलावटखोरों को छह-छह महीने की जेल

जोधपुर, (कासं)। मिलावटखोरों के खिलाफ कोर्ट में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर उक्त मिलावटखोरी में लिप्त विक्रेताओं को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने उक्त तीनों अभियुक्तों को धारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषी मानते हुए छह-छह महीने का साधारण कारावास की सजा व एक-एक लाख का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया कि खाद सुरक्षा दल द्वारा मिलावट के संदेह में खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए थे। मैसर्स पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कंपनी न्यू बस स्टेंड,पीपाड़ से घी गुंजन रामजी डेयरी ब्रांड के नमूने लिए जा कर कुल घी 1910लीटर जप्त किया गया था जो बाद जांच असुरक्षित पाए गए थे। उक्त फर्म के मालिक संपतराज कांकरिया, इसी फर्म के संतोष जैन तथा मिलावटी घी निर्माता मैसर्स राम जी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इंडिया एच-124 रीको करणी इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर राजस्थान के निर्माता/मालिक राहुल पारीक व एक अन्य प्रकरण में में पटेल मुकनाराम टी सेंटर, बिलाड़ा के मुकनाराम पटेल को मिलावटी लाल मिर्च पाउडर मामले में दोषी मानते हुए छ माह की जेल मय अर्थदंड की सजा सजा व एक-एक लाख का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।

- कोर्ट ने एक लाख अर्थ दंड की सजा भी सुनाई

भीलवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा

भीलवाडा, (निसं)। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती एक बीमार युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खडा कर दिया, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर शांत करवा दिया।

जानकारी के अनुसार कोटडी निवासी नारायण खटीक (25) बीमार चल रहा था। 10 जुलाई को उसे परिजन जिला अस्पताल ले आये, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। बुधवार को नारायण की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। इस दौरान मृतक के पिता गोपाल खटीक ने आरोप लगाया कि बेटे को भर्ती करवाये तीन दिन हो गये। उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स के कहने पर एमआरआई करवा रिपोर्ट उन्हें दे दी लेकिन उन्होंने देखा नहीं। शाम को वे राउंड पर आये तो मृतक के पिता ने बोला, बुखार तेज है। इस पर उनका कहना था कि बुखार तो आयेगी। उन्होने कहा कि उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो या रैफर कर दो। ताकि मैं, उसे जयपुर या अहमदाबाद लेकर जा सकूं लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की।

भारतीय सेना के जवान सुरेंद्र कुमार का ड्यूटी के दौरान हुआ निधन

चिड़ावा। क्षेत्र के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अजीतपुरा गांव निवासी श्रीचंद नूनियां के पुत्र सेना के जवान 32 वर्षीय सुरेंद्र कुमार का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया।

सुरेंद्र के चाचा रामसिंह नूनियां ने बताया कि सुरेंद्र 2008 में सेना में भर्ती हुआ था। जो कि फिलहाल बरेली में सिपाही के पद पर तैनात था। यहां 11 जुलाई को ड्यूटी के दौरान अचानक सुरेंद्र की तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत ही यूनिट एमआई रूम में भर्ती किया गया। तबीयत अधिक बिगड़ने पर सुरेंद्र को एमएच बरेली के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जहां सुरेंद्र ने 12 जुलाई को दम तोड़ दिया। सुरेन्द्र की गुरुवार सुबह दस बजे अजीतपुरा के मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टी की जाएगी। सुरेंद्र की पत्नी राजकीय बीडीके अस्पताल, झुंझुनूं में जीएनएम के पद पर कार्यरत है। उनके छह वर्षीय एक बेटा भी है।

मिली जानकारी के अनुसार जवान की पार्थिव देह सेना के विशेष विमान से देर रात बरेली से जयपुर पहुंचेगी। वहां से पार्थिव देह सेना के वाहन से सड़क मार्ग से गांव के लिए रवाना किया जाएगा। सुबह छह बजे पार्थिव देह गांव पहुंचने की सूचना है।

जवान सुरेंद्र कुमार

भड़काऊ नारेबाजी के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित दो गिरफ्तार

उदयपुर, (निस) । जिला कलेक्ट्री परिसर के बाहर मौन प्रदर्शन के दौरान के लोगों द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

प्रकरण के अनुसार 20 जून को मुस्लिम समुदाय के मौन जुलूस में कलेक्ट्रेट के सामने धार्मिक वैमनस्यता फैलाकर नारे लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चन्द्रशील ठाकुर, पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत के सुपरविजन में भुपालपुरा थानाधिकारी हनवंतसिंह सौढ़ा के नेतृत्व में हेड कांस्टैबल किशनसिंह, कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद, विजयसिंह, दलपतसिंह, सुरेन्द्रसिंह मय टीम ने इस मामले में गठित टीम ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर कुछ आरोपियों को नामजद किया था। जिनमें सिलावटवाड़ी घंटाघर हॉल लालमगरी मस्ताना बाबा के पीछे अम्बामाता निवासी गुलाम दस्तगीर पुत्र मोईनुद्दीन रिजवी, दीवान शाह कॉलोनी पटेल सर्कल सूरजपोल निवासी हाफिज कादरी पुत्र हबीब खान को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलाम दस्तगीर के खिलाफ पूर्व में 10 अपराधिक मामले दर्ज है व हाफिज के खिलाफ एक प्रकरण धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का प्रकरण दर्ज है।

- एक के खिलाफ 10 मामले दर्ज

दो तहसीलदारों को थमाई चार्जशीट

करौली (निसं.)। जिला कलेक्टर ने बैठक में फ्लैगशिप योजना के लाभार्थी के बारे में दो बार पत्र भेजकर तहसीलदार करौली से सत्यापन रिपोर्ट अभी तक नहीं भिजवाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार करौली को चार्जशीट दिये जाने के निर्देश बैठक में दिये।

उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से लाभार्थियों का सत्यापन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये। तहसीलदार मंडरायल को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर भी चार्जशीट दिये जाने के निर्देश भी दिये।

जिला कलेक्टर ने बैठक में जनसुनवाई, जिला सतर्कता समिति, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा संभागीय आयुक्त कार्यालय के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही जिला सतर्कता समिति के प्रकरणों की पालना रिपोर्ट 21 जुलाई से पूर्व भिजवाने के भी निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसराम मीना, उपखंड अधिकारी हिण्डौन अनूप सिंह, करौली अमित वर्मा, सपोटरा अनुज भारद्वाज, मंडरायल प्रदीप कुमार चौमाल, उपंखड अधिकारी टोडाभीम दुर्गाप्रसाद मीना सहित समस्त तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ परीक्षाओं में गड़बड़ी व चहेतों को नकल कराने का आरोप

अजमेर, (कासं)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में शहर के विभिन्न कॉलेजों के छात्रनेताओं ने कुलपति प्रो. अनिल शुक्ला से मुलाकात कर डीएवी कॉलेज अजमेर के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।

यूनिवर्सिटी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित जैन, डीएवी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व अध्यक्ष महिपाल कस्वा, छात्रनेता रोशन गुर्जर, डीएवी कॉलेज एबीवीपी इकाई अध्यक्ष अस्तिव तिवाड़ी, अभिषेक गेना, रवि सिंह रावत, राकेश चौधरी इत्यादि छात्र नेताओं के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा।

छात्र नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन देते हुए बताया कि डीएवी कॉलेज अजमेर के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा ने कॉलेज के कर्मचारी की पत्नी को यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर में 14 अक्टूबर 2020 को नकल करवाने का प्रयास किया लेकिन स्टाफ की सजगता से प्राचार्य नकल नहीं करवा पाया। इस प्रकरण के लिए कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस थाने में एफआइआर भी दर्ज करवाई जिसके फलस्वरूप प्रिंसिपल की शह पर स्ट्रांग रूम से कॉपियां निकाल उस कर्मचारी के घर ले जाकर नकल कर कॉपी बदल दी। प्रिंसिपल ने अपने पुत्र जो बीकॉम का विद्यार्थी रहा जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा डीएवी कॉलेज में दी उसी समय प्रिंसिपल ने अपने चहेते लोगों की ड्यूटी अपने पुत्र के परीक्षा कक्ष में लगा दी।

छात्र नेताओं ने बताया कि शारीरिक शिक्षा संकाय की परीक्षा में एक छात्र हरियाणा पुलिस की परीक्षा देने गया जिस दिन वह पुलिस की परीक्षा देने गया था उसी दिन उसका यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी था। प्राचार्य ने वहां के टीचरों से मिलीभगत कर किसी अन्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बिठाया। एक समय एक दिन अलग-अलग राज्यों में एक ही विद्यार्थी कैसे परीक्षा दे सकता है। इस प्रकरण की गंभीरता से जांच करने की छात्र नेताओं ने मांग की है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बाहरी व्यक्तियों द्वारा एग्जाम का नोटिस निकाल परीक्षा आयोजित करवा दी गई जिस व्यक्ति ने नोटिस निकाला उस दौरान उसका कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। छात्र नेताओं ने कुलपति से मांग की है कि इन सभी प्रकरणों की गहनता से जांच कर कमेटी बनाई जाए और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल को परीक्षा संबंधित कार्यों से आजीवन डिबार किया जाए।

गीतांजली बीएड कॉलेज, बोरावड़ को यूनिवर्सिटी ने परीक्षा सेंटर से हटा दिया है। इसके लिए कुछ दिन पूर्व यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित जैन व पूर्व अध्यक्ष लोकेश गोदारा ने कड़ी आपत्ति जताई थी जिसके चलते कुलपति ने इस कॉलेज से एग्जाम सेंटर हटा लिया जिसके लिए छात्रनेताओं ने कुलपति का शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर कर अभिनन्दन किया। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकरण में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

छात्रनेताओं ने कुलपति का शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर कर अभिनन्दन किया।

- छात्रनेताओं ने सबूत व अन्य दस्तावेज कुलपति को सौंप पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग
- जल्द कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
- गीतांजली बीएड कॉलेज का एग्जाम सेंटर निरस्त करने पर कुलपति का आभार जताया